भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
रेल संरक्षा आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
COMMISSION OF RAILWAY SAFETY

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय
तृतीय तल, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड,
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष : 011-23369778
ईमेल : sors.moca@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

International Year of Cooperatives 2025

O/o Chief Commissioner of Railway Safety,
3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry
Road, New Delhi – 110055
Telephone : 011-23369778
Email : sors.moca@nic.in

No. A-12026/5/2017-CRS

Dated: 18.10.2025

VACANCY CIRCULAR No. 02/2025

Subject: Filling up various posts in the Commission of Railway Safety under Ministry of Civil Aviation on deputation basis.

The Commission of Railway Safety (CRS), an organization under the administrative control of Ministry of Civil Aviation, invites applications from willing and eligible officials for appointment on various posts in the Commission of Railway Safety on deputation basis as per details given below:-

S. NO.	NAME OF POST	SCALE OF PAY & CLASSIFICATION	VACANCY DETAILS		METHOD OF APPOINTMENT	ELIGIBILITY CRITERIA FOR THE POST
			No. of posts	CIRCLE OFFICE		
1.	SENIOR PRIVATE SECRETARY	PAY LEVEL- 8 (RS. 47600- 151100), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' GAZETTED, MINISTERIAL	1	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES (COLUMN 11 OF G.S.R. 311 IN ANNEXURE 1)
			1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD		
			1	NORTHEAST FRONTIER CIRCLE, KOLKATA		
			1	EASTERN CIRCLE, KOLKATA		
2.	SENIOR INSPECTOR (TECHNICAL)	PAY LEVEL-7 (RS. 44900- 142400), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' NON-GAZETTED, NON-MINISTERIAL	2 (01 Mechanical & 01 Operating)	TECHNICAL WING, CCRS OFFICE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES (COLUMN 11 OF G.S.R. 37 IN ANNEXURE 2)
			1	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU		
			1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD		
3.	TECHNICAL ASSISTANT	PAY LEVEL- 5 (RS. 29200-92300), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'C' NON-GAZETTED, MINISTERIAL	1	TECHNICAL WING, CCRS OFFICE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES OF TECHNICAL ASSISTANT (COLUMN 12 OF G.S.R. 163 IN ANNEXURE 3)
4.	UPPER DIVISION CLERK	PAY LEVEL- 4 (RS. 25500- 81100), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'C' NON-GAZETTED, MINISTERIAL	1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES OF UPPER DIVISION CLERK (COLUMN 12 OF G.S.R. 175 IN ANNEXURE 4)
			1	SOUTH EASTERN CIRCLE, KOLKATA		
			1	EASTERN CIRCLE, KOLKATA		

2. Application of willing personnel, fulfilling the above conditions may be forwarded **through proper channel** along with the approval of Cadre Controlling Authority & following documents:

(i) Bio-Data (in duplicate) as in the proforma given **Annexure-A**

(ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested on each page along with duly attested copy of grading sheet of ACR/APAR provided

(iii) Vigilance Clearance Certificate

(iv) Integrity Certificate

(v) A statement giving details of major/minor penalties imposed on the officer, if any during last 10 years.

3. An applicant can apply in only one circle office for the post for which he/she is eligible. The complete application should be submitted within 60 days from the date of issue of this circular, to the circle office where the candidate wish to apply for, on the following address:

S. NO.	OFFICE	ADDRESS
1	CCRS OFFICE, NEW DELHI	RS SECTION, CAMP OFFICE OF CCRS, MINISTRY OF CIVIL AVIATION, ROOM NO. 39A, B BLOCK, RAJIV GANDHI BHAWAN, SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110003.
2	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTHERN CIRCLE, 2ND FLOOR, RAIL SANRAKSHA BHAVAN, BEHIND RAILWAY DIVISIONAL OFFICE, BENGALURU-560023
3	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTH CENTRAL CIRCLE, GROUND FLOOR, RAIL NIRMAN NILAYAM, SAROJINI DEVI ROAD, SECUNDERABAD – 500003
4	NORTHEAST FRONTIER CIRCLE, KOLKATA	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, NORTHEAST FRONTIER CIRCLE, NEW KOILAGHAT BUILDING (12TH FLOOR), 14 STRAND ROAD, KOLKATA – 700007
5	EASTERN CIRCLE, KOLKATA	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, EASTERN CIRCLE, NEW KOILAGHAT BUILDING (12TH FLOOR), 14 STRAND ROAD, KOLKATA – 700007
6	SOUTH EASTERN CIRCLE, KOLKATA	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTH EASTERN CIRCLE, NEW KOILAGHAT BUILDING (12TH FLOOR), 14 STRAND ROAD, KOLKATA – 700007

Terms & Conditions:

I. The applicant must fulfill the essential qualification & experience for the post as mentioned above as well as other conditions stipulated in this advertisement.
II. The applicant is advised to satisfy himself/ herself before applying that he/she possess at least the essential qualification/ experience as laid down in the respective Recruitment Rules of the post.
III. One applicant is eligible for applying against one post of only one circle office. Multiple applications will be rejected.
IV. Only applications received through proper channel & with the approval of the Cadre Controlling Authority shall be considered for the appointment.
V. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
VI. The applicant should ensure that their application must reach the concerned circle office where the applicant wish to apply, before closing date.
VII. The application received after the closing date or other than through proper channel or without ACRs/APARs or incomplete in any respect shall not be entertained.

(Avinash Kumar)
Dy. Commissioner of Railway Safety (G)

Encls: As above

Copy to:

1. The Under Secretary (CS-I), DoPT, LoK Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi with a request to publish the above vacancy circular through DoPT website.
2. All General Manager of Indian Railways with a request to circulate among the staff and forward their application to this office.
3. Under Secretary (D), Ministry of Railways/Railway Board with a request to publish the above vacancy circular through Ministry of Railways Website and among all PSUs under Ministry of Railways.
4. Technical Wing, CCRS Office for publishing it on the official website www.crs.gov.in.
5. All Circle Offices of the Commission of Railway Safety.

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
रेल संरक्षा आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
COMMISSION OF RAILWAY SAFETY

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय
तृतीय तल, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड,
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष : 011-23369778
ईमेल : sors.moca@nic.in

O/o Chief Commissioner of Railway Safety,
3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry
Road, New Delhi – 110055
Telephone : 011-23369778
Email : sors.moca@nic.in

संख्याः 12026/5/2017-आर एस

दिनांक: 18.10.2025

रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025

विषय: नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न पदों को भरना।

रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संगठन है, निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर रेल संरक्षा आयोग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक और पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान एवं वर्गीकरण	रिक्ति विवरण		नियुक्ति की विधि	पद के लिए पात्रता मानदंड
			पदों की संख्या	परिमण्डल कार्यालय		
1	वरिष्ठ निजी सचिव	वेतन स्तर- 8 (रु. 47600- 151100), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	1	दक्षिण परिमण्डल, बैंगलुरु	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि भर्ती नियमों में उल्लेख किया गया है (अनुलग्नक 1 में जी.एस.आर. 311 का कॉलम 11)
			1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्द्राबाद		
			1	पूर्वोत्तर सीमान्त परिमण्डल, कोलकाता		
			1	पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		
2	वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)	वेतन स्तर-7 (रु. 44900-142400), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, गैर- अनुसचिवीय	2 (01 यांत्रिक एवं 01 परिचालन)	तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि भर्ती नियमों में उल्लेख किया गया है (अनुलग्नक 2 में जी.एस.आर. 37 का कॉलम 11)
			1	दक्षिण परिमण्डल, बैंगलुरु		
			1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्द्राबाद		
3	तकनीकी सहायक	वेतन स्तर- 5 (रु. 29200-92300), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1	तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि तकनीकी सहायक के भर्ती नियमों में उल्लिखित है (अनुलग्नक 3 में जी.एस.आर. 163 का कॉलम 12)
4	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन स्तर- 4 (रु. 25500-81100), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्द्राबाद	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि उच्च श्रेणी लिपिक के भर्ती नियमों में उल्लेख किया गया है (अनुलग्नक 4 में जी.एस.आर. 175 का कॉलम 12)
			1	दक्षिण पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		
			1	पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		

2. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक कार्मिकों के आवेदन, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन एवं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से अग्रेषित किए जा सकते हैं:

(i) जीवनवृत (दो प्रतियों में) जैसा कि अनुलग्नक-क में दिए गए प्रपत्र में है

(ii) पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापित की गई हो, साथ ही एसीआर/एपीएआर की ग्रेडिंग शीट की विधिवत सत्यापित प्रति भी प्रदान की गई हो।

(iii) सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र

(iv) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

(v) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए प्रमुख/लघु दंडों, यदि कोई हों, का विवरण देने वाला कथन ।

3. कोई भी आवेदक जिस पद के लिए पात्र है, उसके लिए केवल एक ही परिमंडल कार्यालय में आवेदन कर सकता है। पूरा आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस परिमंडल कार्यालय में, जहाँ उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है, निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए:

क्रम संख्या	कार्यालय	पता
1	मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	आरएस अनुभाग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का शिविर कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय, कमरा संख्या 39ए, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110003
2	दक्षिण परिमण्ड़ल, बैंगलुरु	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण परिमण्ड़ल, द्वितीय तल, रेल संरक्षा भवन, रेलवे मंडल कार्यालय के पीछे, बैंगलुरु-560023
3	दक्षिण मध्य परिमण्ड़ल, सिकन्द्राबाद	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य परिमंडल, भूतल, रेल निर्माण निलयम, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद - 500003
4	पूर्वोत्तर सीमान्त परिमण्ड़ल, कोलकाता	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं मंजिल), 14 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007
5	पूर्व परिमण्ड़ल, कोलकाता	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्व परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं मंजिल), 14 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007
6	दक्षिण पूर्व परिमण्ड़ल, कोलकाता	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं मंजिल), 14 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007

<u>नियम एवं शर्तें:</u>

I. आवेदक को उपर्युक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के साथ-साथ इस विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

II. आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वह स्वयं आश्वस्त हो लें कि उसके पास पद के संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यता/अनुभव है।

III. एक आवेदक केवल एक ही परिमण्ड़ल कार्यालय के एक पद के लिए आवेदन करने का पात्र है। एक से अधिक आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

IV. केवल उचित माध्यम से और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त आवेदनों पर ही नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

V. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VI. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आवेदन अंतिम तिथि से पहले संबंधित परिमण्ड़ल कार्यालय, जहाँ आवेदक आवेदन करना चाहता है, पहुँच जाना चाहिए।

VII. अंतिम तिथि के बाद या उचित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त या एसीआर/एपीएआर के बिना या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अविनाश कुमार)

रेल संरक्षा उपायुक्त(सामान्य)

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव (सीएस-I), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करें।
2. भारतीय रेल के सभी महाप्रबंधकों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें और उनके आवेदन इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
3. अवर सचिव (डी), रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड को इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को रेल मंत्रालय की वेबसाइट और रेल मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रकाशित करें।
4. तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय को इसे आधिकारिक वेबसाइट www.crs.gov.in पर प्रकाशित करने हेतु।
5. रेल संरक्षा आयोग के सभी परिमंडल कार्यालय।

ANNEXURE-A

BIO-DATA PROFORMA

1. Name and Address in Block letter

2. Date of birth (in Christian era)

3. Date of retirement under Central/State Government

 Rules

4. Educational Qualifications

5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same)

	Qualifications/Experience required	Qualifications/Experience possessed by the officer
Essential	(1) (2) (3)	
Desired	(1) (2)	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post

7. Details of Employment in chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/Instt/Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay and Basic pay	Nature of duties

...2/-

8. Nature of presently employment, i.e. ad hoc or temporary/ quasi permanent or permanent

9. In case the present employment is held on deputation / contract basis. Please state –

 (a) The date of initial appointment
 (b) Period of appointment on deputation/contract
 (c) Name of the parent office/organization to which you belong

10. Additional details about present employment

 Please state whether working under

 (A) Central Government
 (B) State Government
 (C) Autonomous Organizations
 (D) Government undertakings
 (E) Universities

11. Are you in Revised Scale of Pay ? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

12. Total emoluments per month now drawn

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient

14. Whether belongs to SC/ST

15. Remarks

Signature of the candidate

Address:

Date:

Verified and forwarded
(On behalf of Employer)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :— 1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary (Administration, Appointment, General, Services-I and Recruitment Rules) Union Public Service Commission —Member 3. Joint Secretary (Administration) —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/5/91-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 262, dated the 15th May, 2001 and subsequently amended *vide* Number—

1. G.S.R. 671, dated the 3rd December, 2001;
2. G.S.R. 181, dated the 24th May, 2005;
3. G.S.R. 205, dated the 8th August, 2006.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 311.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग निजी सहायक (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय के रेल संरक्षा आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में, वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, (वरिष्ठ निजी सचिव) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ निजी सचिव	9*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4800 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** I. 1 केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (II) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की नियमित सेवा की है; या (III) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् छः वर्षों की नियमित सेवा की है; और (ख) आशुलेखन (अंग्रेजी - हिन्दी) में दक्षता रखते हैं । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

	(11)
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	जब विचार क्षेत्र में किसी अधिकारी का आमेलन के आधार पर नियुक्ति किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/09-आर एस]

ओमा नन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th October, 2011

G.S.R. 311.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Commission of Railway Safety, Personal Assistant (Stenographers) Recruitment Rules, 2001, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, in the Ministry of Civil Aviation, in the Circle Offices of the Commission of Railway Safety, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety (Senior Private Secretary) Group 'B' post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Private Secretary	09* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4800	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By Deputation/Absorption	**Deputation/Absorption :** Officers under Central Government : (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600, or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200, and (B) possessing proficiency in shorthand (Engligh/Hindi). **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except

	(11)
	where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer in the field of consideration for appointment on absorption basis.

[F. No. A-12018/01/09-RS]
OMA NAND, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 312.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 के उपनियम (1) में, 'वेतनमान' शब्द के स्थान पर 'वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान' शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में—

(क) शीर्ष में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) स्तंभ (4) में शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान"

"वेतन बैंड, रु. 9300—34800 धन ग्रेड वेतन रु. 4600" ।

4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) चालीस प्रतिशत रिक्तियां रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक उपाधि हैं, और

(2) साठ प्रतिशत रिक्तियां रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा हो ।

टिप्पण : यदि किसी प्रवर्ग से, उस प्रवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आबंटित रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त पात्र अधिकारियों अर्थात् डिग्री धारकों या डिप्लोमा धारकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो नियंत्रक प्राधिकारी सभी या किन्हीं रिक्तियों को, अन्य प्रवर्ग से उपयुक्त पात्र अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए भर सकेगा कि किसी भी प्रवर्ग के अधिकारियों में से भरे जाने वाले पदों का सम्पूर्ण अनुपात, जहां तक हो सके ऊपर विहित प्रतिशत के अनुसार बनाए रखा जाएगा ।"

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti – Member; 3. Secretary, Central Water Commission – Member; 4. Director, Central Water Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/16/2017-E-I]

A.K. DAS, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि.37.— राष्ट्रपति, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में रेलवे निरीक्षणालय सेवा में वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे निरीक्षणालय सेवा [वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2020 है।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)	25 (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल-7 (रू.44900-142400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं	अनिवार्य लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए प्रमोटी के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के तहत अधिकारी: (क) (1) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना: या (2) ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ नियुक्ति के बाद लेवल 6 (रू 35400-112400) वेतन मैट्रिक्स के पदों में नियमित आधार पर या पैतृक संवर्ग या विभाग में समकक्ष : तथा (ख) अनुभव और शैक्षिक योग्यता रखने: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विदयुत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सम्बन्धित विषय में सरकारी संगठन में दो साल का अनुभव।

नोट (1): प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कॉडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट (2): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं।	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11013/30/2015-आर.एस.]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Inspector (Technical) in the Railway Inspectorate Service in the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Railway Inspectorate Service [Senior Inspector(Technical)] Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Inspector (Technical)	25(2020) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non Ministerial	Level-7 (Rs. 44900 – 142400)	Not applicable	Not applicable	Essential Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short -term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience:- (i) Bachelors Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution; Or (ii) Diploma in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution and having two years' experience of duty in a Government Organisation in the related subject. **Note1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(12)
Not applicable

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[F.No. A-11013/30/2015-RS]
S. K. SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.28 16:35:23 +05'30'

Annexure-3

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2001

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग, तकनीकी खंड में (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम 1988 को जहां तक उनका संबंध तकनीकी सहायक और निम्न श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, तकनीकी खंड में तकनीकी सहायक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रेल संरक्षा आयोग, तकनीकी खंड (तकनीकी सहायक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग') भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
तकनीकी सहायक	2* (दो) 2001 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	4500-125-7000 रु.

चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति तकनीकी खण्ड मे सेवारत ऐसा अवर श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी मे निम्नतम तेरह वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति रेल सरक्षा आयोग के सचिव कार्यालय मे काम कर रहे ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने उस श्रेणी मे पांच वर्ष सेवा की है, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी— (क) जो नियमित आधार पर सवृश पद धारण किए हुए है, या (ख) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने उस श्रेणी मे पांच वर्ष सेवा की है । टिप्पण 1 जहा ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के सबध मे, जिन्होने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहा उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियो के सबध मे भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होन अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य सगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नत समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए):— (1) उप रेल संरक्षा आयुक्त (सामान्य) या उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों को निर्वहन करने वाला अधिकारी —अध्यक्ष (2) रेल संरक्षा उपायुक्त जो मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । —सदस्य (3) अनुभाग अधिकारी रेल संरक्षा अनुभाग —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4
अवर श्रेणी लिपिक	2* (दो) (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590, रु.

5	6	7
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	लागू नहीं होता

8	9	10
(1) मैट्रिक या समतुल्य, (2) टंकण (अंग्रेजी या हिन्दी) में प्रति मिनट 30 शब्द की गति : परन्तु यह कि :	लागू नहीं होता	दो वर्ष

8	
(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास टंकण मे उक्त अर्हता नही है इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि जब तक वह टंकण मे प्रतिमिनट 30 शब्द की गति प्राप्त नही कर लेता है तब तक वह वेतनमान मे वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या उसे श्रेणी मे पुष्टिकरण के लिए पात्र नही होगा ।	
(ख) ऐसे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है, किन्तु उसके पास टकण मे उक्त अर्हता नही है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियो के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नही है वहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण कर सकने के योग्य नहीं है ।	

11	12
सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा टिप्पण . निम्न श्रेणी लिपिक के पद मे 10 प्रतिशत रिक्तियां कार्यालय मे कार्य कर रहे समूह 'घ' कर्मचारियो मे से निम्नलिखित पद्धति से भरी जाएगी — (1) चयन, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियो के लिए खोलित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो निम्नतम शैक्षिक अर्हताओ, अर्थात् मैट्रिक या समतुल्य की अपेक्षा पूरी करते हैं । (2) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियो के 45 वर्ष) । (3) समूह 'घ' पद मे निम्नतम पाच वर्ष की सेवा आवश्यक होगी ।	अन्य सरकारी कार्यालयों मे ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक के आमेलन द्वारा, जो समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहा है ।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/आमेलन के लिए) (1) उप आयुक्त रेल सरक्षा (सामान्य) या उसकी अनुपस्थिति मे उसके कर्तव्यो का निर्वहन करने वाला अधिकारी —अध्यक्ष (2) रेल सरक्षा उपायुक्त जो मुख्य आयुक्त रेल सरक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । —सदस्य और (3) अनुभाग अधिकारी, रेल सरक्षा अनुभाग —सदस्य	लागू नही होता

[सं ए-12018/5/00-आर.एस.]
प्रकाश चन्द्र, उप सचिव

New Delhi, the 5th March, 2001

G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Commission of Railway Safety, Technical Wing (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Technical Assistant and Lower Division Clerk, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Technical Assistant and Lower Division Clerk in Technical Wing of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation namely:—

— 1. Short title and comencement.—(1) These rules may be called the Commission of Railway, Safety, Technical Wing (Technical Assistant and Lower Division Clerk, Group 'C') Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, classification and scale of pay:—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection cum Seniority or Select on by Merit post
1	2	3	4	5
1 Technical Assistant	2* (Two) *(001) Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial	Rs. 4,500-125-7.000	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits shall apply in case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation if any	-Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made
10	11	12
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	PROMOTION: Lower Division Clerk serving in the Technical Wing with a minimum thirteen years of regular service in the grade: DEPUTATION: Upper Division Clerks with five years service in the grade working in the Circle office of the Commission of Railway Safety, failing which officials of Central Government (a) holding analogous post on regular basis; or (b) Upper Division Clerks with 5 years service in the grade Note 1. Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligiblelity service. Note 2. The period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or deputation): (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) or in his absence the officer looking after his duties—Chairman (ii) a Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety—Member (iii) Section Officer, Railway Safety Section—Member	Not applicable

1	2	3	4	5
2. Lower Division Clerk	2* (Two) *(2001) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable

6	7	8	9
18 to 27 years Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Not applicable	(1) Matriculation or equivalent; (2) A speed of 30 words per minute in typing (English or Hindi) Provided that: (a) a person not possessing the said qualification may be appointed subject to condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for confirmation in the grade till he or she aquires a speed of 30 words per minute in typing , or (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Chief Medical Officer, certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.	Not applicable

10	11	12
2 years	Direct recruitment failing which by absorption Note : 10 percent of vacancies in the post of Lower Division Clerks shall be filled from amongst the Group D employees working in the office as per following procedure:— (i) Selection will be made through a Departmental Examination confined to such Group 'D' employees who fulfill the requirement of minimum educational qualification namely matriculation or equivalent : (ii) The maximum age for this examination would be 40 years (45 years for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes employees): (iii) Minimum of five years service in a Group 'D' post would be essential.	Absorption of a Lower Division Clerk working in a similar or equivalent grade from other Central Government Offices

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation/absorption) (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) or in his absence the officer looking after this duties– Chairman (ii) Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety —Member (iii) Section Officer Railway Safety Section Member.	Not applicable

[No A-12018 5/00-RS]
PRAKASH CHANDRA Dy Secy

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी 2001

सा का नि 164—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती नियम 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती नियम 1963 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् —

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1* *(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनन्वयीय	10 000-325-15,200 रु

चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6	7
चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Annexure-4

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग सर्किल कार्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2001, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय में रेल संरक्षा आयोग के सर्किल कार्यालयों में समूह 'ग' पदों में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षा आयोग, सर्किल कार्यालय, समूह 'ग' पद (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	11* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 ग्रेड वेतन-2400 रु. वेतनमान 5200-20200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

4438 GI/09-4

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
50% प्रोन्नति द्वारा और 50% अवर श्रेणी लिपिकों से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति** : ऐसे सर्किल कार्यालय में जिसमें रिक्ति होती है, के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण** : उच्च श्रेणी लिपिकों की 50% रिक्तियां सर्किल कार्यालय में जहां रिक्ति हुई है कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों में से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी :– (i) चयन, अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा कर चुके अवर श्रेणी लिपिकों तक सीमित एक विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । (ii) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी । **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोगजन से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में वेतनमान विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं । उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानीय ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति के लिए चयन के संबंध में विचार करने के लिए ।) (i) उपायुक्त, रेल संरक्षा (साधारण) और उसकी अनुपस्थिती में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा अधिकारी —अध्यक्ष (ii) उपायुक्त, रेल संरक्षा, जो मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी, रेल संरक्षा अनुभाग —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	25* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड । ग्रेड वेतन-1900 रु. वेतनमान 5200-20200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर के 40 वर्ष तक की जा सकती है ।)

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य अर्हता । (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हो । (10500 के डी पी एच 19000 के डीपीएच पर प्रति शब्द दबाव के लिए 5 कुंजी औसत तत्स्थायी प्रति मिनट 30 शब्द और 35 शब्द प्रति मिनट हो ।)	हां, स्तंभ 11 में दर्शित विस्तार तक	2 वर्ष

(11)	(12)
(1) 85% सीधी भर्ती द्वारा (2) 10% विभागीय परीक्षा के माध्यम से । (3) 5% प्रोन्नति द्वारा विकल्प के न होने की दशा में आमेलन के द्वारा ।	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10% प्रतिशत रिक्तियां ऐसे सर्किल कार्यालय में जहां रिक्ति हुई है, वेतन बैंड-1 और 1800 रु ग्रेड वेतन में कार्यरत ऐसे पदधारियों में से भरी जाएंगी, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने विभागीय अर्हता

(12)	
	परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । परीक्षा के लिए अधिकतम पात्रता आयु 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष ।) (iii) 5% रिक्तियां ऐसे सर्किल कार्यालय में जहां रिक्ति हुई है, वेतन बैंड । और 1800 रु. ग्रेड वेतन में कार्यरत ऐसे पदधारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है । **आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से समरूप या समतुलय श्रेणी में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक याा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में वेतनमान विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानीय ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और आमेलन के लिए चयन के संबंध में विचार करने के लिए ।) (i) उपायुक्त, रेल संरक्षा (साधारण) और उसकी अनुपस्थिती में उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा अधिकारी —अध्यक्ष (ii) उपायुक्त, रेल संरक्षा, जो मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी, रेल संरक्षा अनुभाग —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/02/2009-आर एस]

ओमा नन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th December, 2009

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Commission of Railway Safety, Circle Offices (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2001, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' in the Circle Offices of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Commission of Railway Safety Circle Offices Group 'C' posts (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person or posts.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and Grade pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Upper Division Clerk	11* (2009) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band 1 Grade Pay Rs. 2400 Scale of pay Rs. 5200-20,200	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and persentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, or absorption, grades from which promotion/deputation to be made
(11)	(12)
50% by Promotion and 50% by limited departmental examination from Lower Division Clerks failing which by deputation	**Promotion:** Lower Divison Clerk serving in the Circle Office where the vacancy occurs with a minimum eight years of regular service in the grade. **Note:** 50% of vacancies in the post of Upper Division Clerks will be filled from amongst Lower Division Clerks working in the Circle Office where vacancy occurs as per following procedure— (i) selection shall be made through departmental examination confined to Lower Division Clerk with minimum of approved and continuous service of eight years in Lower Division Clerk grade; (ii) the maximum age for this examination shall be 50 years. **Deputation:** Official of Central Government— (a) holding analogous post on regular basis; or (b) with eight years of regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(12)
Note 3 : The period of deputation including period of deputation held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion and selection for deputation) :— (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) and in his absence officer performing his duties —Chairman (ii) Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by Chief Commissioner of Railway Safety —Member (iii) Section Officer, Railway Safety Section —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Lower Division Clerk	25* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band 1 Grade Pay Rs. 1900 Pay Scale Rs. 5200-20,200	Non-selection	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A typing speed of 30 words per minutes in English or 25 words per minutes in Hindi on manual typewriter OR A typing speed of 35 words per minutes in English or 30 words per minutes in Hindi on computer. (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each words.	Yes, to the extent indicated in column 11.	Two years

4438 G/09-6

(11)	(12)
(1) 85% by direct recruitment (2) 10% through Departmental Examination (3) 5% by Promotion In case options fail then by absorption.	(i) 85% by direct recruitment through SSC. (ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the official in the Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 1800 working in the Circle Office where vacancy occurs, who possess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in the grade, on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum eligibility for examination is 45 years (50 years of age for SC/ST) (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum- fitness basis from the official in the Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 1800 working in the Circle Office where vacancy occurs, who possess matriculation or equivalent qualification. **Absorption:** Lower Division Clerk working in a similar or equivalent grade from other Central Government Offices. **Note 1:** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation and selection for absorption) :— (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) and in his absence officer performing his duties —Chairman (ii) Deputy Commissioner of Railway Safety to be nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety —Member (iii) Section Officer, Railway Safety Section —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/09-RS]

OMA NAND, Under Secy.